संख्या-8/2017/1752 सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत **वर्ष 2016-17 के सापेक्ष,** वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 27 अप्रैल, 2017 द्वारा गन्ना विभाग की **इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु अवमुक्त की गयी रु० 800.00 लाख तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट**-2 **हेतु अवमुक्त की गयी क्रमश रु. 7.34 लाख तथा रू0 18.00 लाख (कुल रु.825.34 लाख) की** धनराशि के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में वित्तीय स्वीकृति विषयक शासन के कृषि अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-432/12-3-2017-100(43)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अनुक्रम में प्रस्ताव प्रेषण विषयक अपने पत्र संख्या-158-59/रा0कृ0वि0योजना/विकास दिनांक 17.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता वाली एस0एल0एस0सी0 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-432/12-3-2017-100(43)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 द्वारा गन्ना विकास विभाग हेतु **इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय- 02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0213-गन्ना उत्पादन की योजनायें-27-सब्सिडी** के अन्तर्गत अवमुक्त **रु. 8,00,00,000/- तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट**-2 **हेतु अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल** कृषि **कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02**-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-**0213-गन्ना उत्पादन की योजनायें-27-सब्सिडी** के अन्तर्गत अवमुक्त **रू0 7,34,000/-** मानक मद **42-अन्य व्यय** के अन्तर्गत अवमुक्त **रू0 18,00,000/- अर्थात अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रु०-8,25,34,000** का , **इस पत्र के संलग्नक-1 एवं 2 में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार,** निम्नलिखित शर्तो के अधीन, व्यय / उपयोग किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-432/12-3-2017-100(43)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012, दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो(गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-8/2017/1752 (1)सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
3- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
8- नोडल अधिकारी(आर0के0वी0वाई0), उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

संख्या-8/2017/1752 सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 10 अगस्त, 2017 का संलग्नक -1

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016-17 के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा इनहेंसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रु.800 लाख के सापेक्ष दी जा रही जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट सहित प्रशासकीय स्वीकृति ।

(धनराशि रुपये में)

क्र०सं०	नाम जनपद	ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम (27–सब्सिडी)
1	2	3
1	सहारनपुर	3500000
2	मुजफ्फरनगर	3500000
3	शामली	3500000
	योग मण्डल	**10500000**
4	मेरठ	2500000
5	बागपत	3750000
6	बुलन्दशहर	3750000
7	हापुड़	4000000
	योग मण्डल	**14000000**
8	मुरादाबाद	3750000
9	रामपुर	4000000
10	अमरोहा	4000000
11	सम्भल	4000000
12	बिजनौर	3500000
	योग मण्डल	**19250000**
13	बरेली	3500000
14	बदायू	3550000
15	पीलीभीत	3500000
16	शाहजहॉपुर	3500000
	योग मण्डल	**14050000**
17	लखीमपुर	4000000
18	सीतापुर	4000000
19	हरदोई	4500000
	योग मण्डल	**12500000**
20	फैजाबाद	4500000
	योग मण्डल	**4500000**
21	गोण्डा	3000000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22	बलरामपुर	2200000
	योग मण्डल	**5200000**
	योग प्रदेश	**80000000**

(रुपया आठ करोड़ मात्र)

नोट- जनपद शामली, हापुड तथा सम्भल को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-8 /2017/ 1752 सी0डी0/46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 10 अगस्त, 2017 का संलग्नक -2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016-17 के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा इनहेंसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी० पार्ट-2 हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रु.25.34 लाख के सापेक्ष दी जा रही जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट सहित प्रशासकीय स्वीकृति ।

(धनराशि रूपये में)

क्र० सं०	नाम जनपद	कार्यक्रम का नाम			
		यन्त्र वितरण (27–सब्सिडी)	उत्पादकता पुरस्कार (27–सब्सिडी)	एम०एच०ए०टी संयंत्र (42–अन्य व्यय)	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	शामली	**0**	0	300000	300000
योग परिक्षेत्र सहारनपुर		**0**	**0**	**300000**	**300000**
2	फरूर्खाबाद	450500	0	0	450500
3	लखीमपुर	0	0	500000	500000
4	सीतापुर	0	0	500000	500000
5	हरदोई	0	0	500000	500000
योग परिक्षेत्र लखनऊ		**450500**	**0**	**1500000**	**1950500**
6	जौनपुर	203500	0	0	203500
योग परिक्षेत्र फैजाबाद		**203500**	**0**	**0**	**203500**
7	सम्भल	0	80000	0	80000
परिक्षेत्र मुरादाबाद		**0**	**80000**	**0**	**80000**
योग प्रदेश		**654000**	**80000**	**1800000**	**2534000**

(रुपया पच्चीस लाख चौतीस हजार मात्र)

नोट- जनपद शामली तथा सम्भल को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।